

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
पत्रांक 3789/14-10, अलीगढ़: दिनांक: मार्च, 23, 2022

सेवामें,

प्रबन्धक (रिटेल सेल्स),
इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड,
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय,
ख्वाजा फिलिंग स्टेशन के पीछे,
एन0एच0-24, पकवाड़ा, मुरादाबाद-244102।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एन0एच0-80) किमी0 05 दांयी पटरी खसरा सं0-30 ग्राम दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में

संदर्भ-

वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ का पत्रांक 1493/14-1 दिनांक 11.11.2021

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में, संदर्भित पत्र निम्न आपत्ति लगायी गयी है-

1. अनुपालन आख्या में प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया गया संलग्नक-03 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना त्रुटिपूर्ण है।
2. शासन की आपत्ति बिन्दु संख्या-02 में उल्लंघन कब से किया गया है, का कोई साक्ष्य नहीं है।
3. शासकीय पत्र के आपत्ति बिन्दु संख्या-08 पृष्ठ संख्या-73 पर रक्षित रिटेल आउटलेट प्लान की पठनीय प्रति की अपेक्षा की गई है। पठनीय प्रति उपलब्ध कराई जाये।

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 3789/14-10 समदिनांकित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

01C